

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-सहारनपुर एवं शामली।

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2019-20/ 2316-2 दिनांक: 14.6.2019
विषय: दिनांक 20 से 24 मई 2019 तक राज्य स्तर की टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की
आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

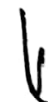
कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम. एण्ड ई./2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 20 से 24 मई 2019 तक जनपद सहारनपुर एवं शामली का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या तैयार की है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय


(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2018-19/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, जनपद-सहारनपुर एवं शामली, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., शामली।


(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

**जनपद सहारनपुर एवं शामली के किये गये भ्रमण दिनांक 20.05.2019 से 24.05.2019 की
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या।**

भ्रमण दल के सदस्य—

1. डा0 पी0के0 श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0।
2. श्री अरुणेश तिवारी, कन्सल्टेंट, ई0एम0टी0एस0।

भ्रमण दिवस— दिनांक 20.05.2019 से 24.05.2019

स्थान— जनपद सहारनपुर एवं जनपद शामली।

भ्रमण आख्या

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कांदला, शामली		
बायो-मेडिकल वेस्ट से सम्बंधित लाजिस्टिक रजिस्टर एवं लाग बुक उपलब्ध नहीं पायी गयी।	सम्बंधित रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में समुचित आई.ई.सी. की व्यवस्था नहीं थी।	चिकित्सालय में आई.ई.सी. की व्यवस्था की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना से सम्बंधित भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है साथ ही साथ भुगतान सम्बंधी जानकारी लाभार्थी को नहीं प्राप्त हो पा रही है। 270 लाभार्थियों के सापेक्ष केवल 201 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है।	शेष लाभार्थियों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया।	बी.ए.एम./प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेबर रूम में डिजिटल वॉच नहीं थी एवं एल्बो टैप नहीं लगा था।	लेबर रूम में सम्बंधित कमियों को सही करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेबर रूम में कैलिस पैड पंचर था एवं लेबर रूम का स्ट्रेचर टूटा हुआ था एवं फुटस्टेप नहीं था।	लेबर रूम में सम्बंधित कमियों को सही करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेबर रूम में 07 प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं पाये गये एवं लेबर टेबल पार्टीशन कर्टेन नहीं पाये गये।	लेबर रूम में सम्बंधित कमियों को सही करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आर.के.एस. व्यय का पी.एच.सी. वाइज रजिस्टर नहीं था।	निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा दी जाने वाली पी.सी.आर. की कार्बन कापी चिकित्सालय में उपस्थित स्टाफ द्वारा नहीं लिया जा रहा है।	चिकित्सालय में उपस्थित स्टाफ को पी.सी.आर. की कार्बन कापी लेकर उसकी अलग फाइल बनाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा 14.06.2017 के शासनादेश के अनुसार एम्बुलेंस रजिस्टर तैयार नहीं किये जा रहे हैं।	शासनादेश के अनुसार एम्बुलेंस रजिस्टर तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में उपस्थित 108 एम्बुलेंस सेवा यू.पी. 41जी.0518 के भौतिक सत्यापन के दौरान निम्न	108 ई.एम.टी.एस. सेवा के भौतिक सत्यापन में पाई	प्रभारी चिकित्साधिकारी/जिला

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
कमियां पाई गयीं— • एम्बुलेंस की ए.सी. खराब थी। • सायरन हूटर खराब था। • सक्शन डिवाइस (इलेक्ट्रिकल पावर) 04 महीने से नहीं है। • डिसपोजेबल सक्शन पम्प्स उपलब्ध नहीं थे। • वेंटिमास्क (नेबुलाइजर के साथ) नहीं पाया गया। • एम्बुलेंस सम्बन्धित सर्टिफिकेट्स (रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेंस और पॉल्युशन) की कोई भी कॉपी उपलब्ध नहीं थी।	गयी कमियों को सुधार किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी जी.वी.के.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गंगेरू, शामली		
ओ.पी.डी. रूम में इक्जामिनेशन टेबल नहीं उपलब्ध थी।	ओ.पी.डी. रूम में इक्जामिनेशन टेबल उपलब्ध कराया जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
ओ.पी.डी. कक्ष एवं वार्डों में पर्दे नहीं पाये गये।	ओ.पी.डी. कक्ष एवं वार्डों में पर्दों की उचित व्यवस्था की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों की आई.ई.सी. असंतोषजनक थी। सिटीजन चार्टर उपलब्ध नहीं था।	समुचित आई.ई.सी. एवं वाल राइटिंग्स सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय परिसर में समुचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी।	चिकित्सालय परिसर में समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय परिसर में साफ-सफाई की कमी पाई गयी।	चिकित्सालय परिसर में मानकों के अनुरूप साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, शामली		
जनपद शामली में मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ हुई बैठक में नोडल 102/108 ए.सी.एम.ओ. को एम्बुलेंस के भौतिक सत्यापन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 08.10.2018 एवं एम्बुलेंस रजिस्टर हेतु जारी शासनादेश दिनांक 14.06.2017 की समुचित जानकारी नहीं थी, उनके द्वारा दिखाये गये जनपद स्तरीय अभिलेख में विसंगति पायी गयी।	एम्बुलेंस के भौतिक सत्यापन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 08.10.2018 एवं एम्बुलेंस रजिस्टर हेतु जारी शासनादेश दिनांक 14.06.2017 की जानकारी प्राप्त कर जनपद के सभी चिकित्सालय में, जहां पर एम्बुलेंसों को सम्बद्ध किया गया है, को निर्देशित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल 102/108
जनपद शामली में मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ हुई बैठक में नोडल आर.बी.एस.के., ए.सी.एम.ओ. द्वारा बताया गया कि आर.बी.एस.के. गाड़ियों का भुगतान जी.पी.एस. पर आधारित नहीं है एवं गाड़ियों की समुचित आई.ई.सी. नहीं है।	आर.बी.एस.के. गाड़ियों के भुगतान एवं आई.ई.सी. के लिए एग्रीमेंट के अनुसार जारी दिशानिर्देशों को पालन किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल आर.बी.एस.के.

28

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
एम्बुलेंस भौतिक सत्यापन, जिला चिकित्सालय, सहारनपुर		
जिला चिकित्सालय सहारनपुर से सम्बंधित 108 ई. एम.टी.एस. एम्बुलेंस संख्या यू.पी.41जी3306 का भौतिक निरीक्षण में निम्न कमियां पायी गयीं— - एम्बुलेंस की साफ-सफाई की स्थिति अच्छी नहीं थी। - एम्बुलेंस सम्बन्धित सर्टिफिकेट्स (रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेंस और पॉल्युशन) की कोई भी कॉपी उपलब्ध नहीं थी। - एम्बुलेंस की ए.सी. खराब थी। - एम्बुलेंस में पेनस्प्रे उपलब्ध नहीं था। - टीथगार्ड उपलब्ध नहीं था। - टेबलेट सर्बिट्रेट उपलब्ध नहीं था।	108 ई.एम.टी.एस. सेवा में पाई गयी कमियों में शीघ्र ही सुधार किये जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस./ जिला प्रभारी जी.वी.के.
जिला चिकित्सालय सहारनपुर से सम्बंधित ए.एल. एस. एम्बुलेंस संख्या यू.पी.32बीजी8158 के निरीक्षण के अन्तर्गत निम्न बिन्दु— - ए.एल.एस. पर तैनात ई.एम.टी. द्वारा बताया गया कि आई.एफ.टी. केसेज जो पी.जी.आई. चण्डीगढ़ और दिल्ली के अस्पतालों में भेजे जाते हैं वहां पर पी.सी.आर. की कार्बन कापी अस्पताल द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है तथा साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा पी.सी.आर. पर स्वीकृति हस्ताक्षर नहीं करते हैं। इसी प्रकार की स्थिति राज्य के कुछ अन्य जिलों के आई.एफ.टी. केसेज में पायी गयी है। - ए.एल.एस. एम्बुलेंस के रिकार्ड के निरीक्षण में पूर्व तैनात ई.एम.टी. द्वारा लाभार्थी का फोन नं. नहीं अंकित किया गया है।	ए.एल.एस. एम्बुलेंस में पाई गयी कमियों में शीघ्र ही सुधार किये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ जिला प्रभारी जी.वी.के.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ननौता, सहारनपुर		
डाइट रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया जा रहा था।	डाइट रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
जे.एस.वाई. के अन्तर्गत माह अप्रैल 2019 में 197 लाभार्थियों के सापेक्ष केवल 98 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है।	शेष लाभार्थियों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आर.के.एस. व्यय का पी.एच.सी. वाइज रजिस्टर नहीं था।	निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आर.के.एस. बैठक के रजिस्टर एवं कार्यवृत्त सही प्रकार से नहीं पाये गये।	बैठक के रजिस्टर एवं कार्यवृत्त को सही करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

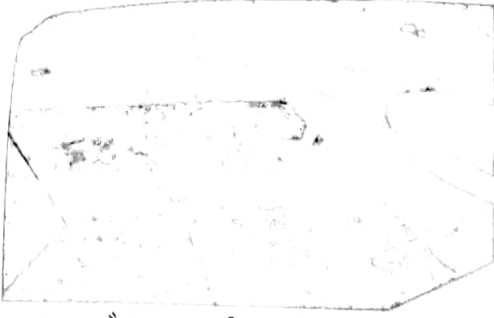
38

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
बायो-मेडिकल वेस्ट से सम्बंधित लाजिस्टिक रजिस्टर एवं लाग बुक उपलब्ध नहीं पायी गयी।	सम्बंधित रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बायो-मैट्रिक अटेण्डेंस की डिवाइस लगी है किन्तु उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।	बायो-मैट्रिक अटेण्डेंस सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
वी.एच.एस.एन.सी. के अन्तर्गत 56 खाते खुलने थे जिसमें से 11 खाते अभी नहीं खुले हैं।	शेष खातों को जल्द खुलवाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेबर रूम में कैलिसपैड पंचर पाया गया।	कैलिसपैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेबर रूम में डिजिटल क्लाक नहीं थी।	लेबर रूम में मानक के अनुसार डिजिटल क्लाक की व्यवस्था की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आपरेशन थियेटर में उपकरण एवं आवश्यक दवाएं अव्यवस्थित पायी गयी।	आपरेशन थियेटर में सभी उपकरण एवं आवश्यक दवाओं आदि को व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, इससे सम्बंधित चार्ट को निर्धारित जगह पर लगाया जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आपरेशन थियेटर में एल्बो टैप नहीं लगा था।	आपरेशन थियेटर में एल्बो टैप लगाया जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में उपस्थित 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा यू.पी.41जी.3390 के भौतिक सत्यापन के दौरान निम्न कमियां पाई गयीं— • एम्बुलेंस की ए.सी. खराब थी, कूलिंग नहीं हो रही थी। • हैण्डलाइट खराब थी। • हजार्डस मटेरियल गाइड बुक्स नहीं थी। • ट्राइएज टैग्स नहीं थे। • एल.सी.डी. टी.वी. नहीं थी। • बच्चों के लिए बी.पी. मशीन की अलग से व्यवस्था नहीं थी। • एम्बुलेंस सम्बंधित सर्टिफिकेट्स (रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेंस और पॉल्युशन) की कोई भी कॉपी उपलब्ध नहीं थी। • ई.एम.टी. को एम्बुलेंस के इक्यूपमेंट के सम्बंध में आधी-अधूरी जानकारी थी।	102 ई.एम.टी.एस. सेवा में पाई गयी कमियों में शीघ्र ही सुधार किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / जिला प्रभारी जी.वी.के.
एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा दी जाने वाली पी.सी.आर. की कार्बन कापी चिकित्सालय में उपस्थित स्टाफ को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।	चिकित्सालय में उपस्थित स्टाफ को पी.सी.आर. की कार्बन कापी लेकर उसकी अलग फाइल बनाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा 14.06.2017 के	शासनादेश के अनुसार	प्रभारी चिकित्साधिकारी

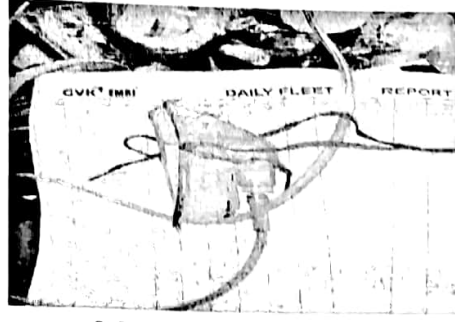
38

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
शासनादेश के अनुसार एम्बुलेंस रजिस्टर तैयार नहीं किये जा रहे हैं।	एम्बुलेंस रजिस्टर तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।	
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भारीदीनदारपुर, सहारनपुर		
चिकित्सालय में नियुक्त चिकित्साधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के दिन वह चिकित्सालय में अनुपस्थित पाये गये।	नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी
ओ.पी.डी. रजिस्टर को देखने से लग रहा है कि फार्मासिस्ट द्वारा ही ओ.पी.डी. नियमित की जा रही है।	चिकित्साधिकारी को नियमित जांच का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में आई.ई.सी., प्रोटोकॉल पोस्टर एवं वाल राइटिंग्स संतोषजनक नहीं थी।	उचित आई.ई.सी., प्रोटोकॉल पोस्टर एवं वाल राइटिंग्स सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय परिसर में चारों तरफ घास-फूस उगी हुयी है।	परिसर की साफ-सफाई की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
ओ.पी.डी. कक्ष एवं वार्डों में पर्दे नहीं पाये गये।	ओ.पी.डी. कक्ष एवं वार्डों में पर्दों की उचित व्यवस्था की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय परिसर में समुचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी।	चिकित्सालय परिसर में समुचित प्रकाश के लिए इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मरीजों के बैठने की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गयी।	आवश्यकतानुसार बेंच एवं कुर्सियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में शौचालय की सफाई व्यवस्था खराब पाई गयी।	चिकित्सालय में शौचालय की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा रात्रिनिवास नहीं होता।	रात्रिनिवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
इमरजेन्सी रूम में कलर कोडेड बिन्स एवं प्रोटोकॉल पोस्टर उपलब्ध नहीं पाये गये।	इमरजेन्सी रूम में कलर कोडेड बिन्स एवं प्रोटोकॉल पोस्टर उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, सहारनपुर		
जनपद सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बैठक में सभी ब्लॉक एम.ओ.आई.सी. को बायो मेडिकल वेस्ट के सम्बंध में एग्रीमेंट के अनुसार जानकारी व दिशा-निर्देश दिये गये।	सभी ब्लॉक एम.ओ.आई.सी., बायो मेडिकल वेस्ट से सम्बंधित एग्रीमेंट की कापी जिला स्तर से प्राप्त कर उसी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ब्लॉक एम.ओ.आई.सी.

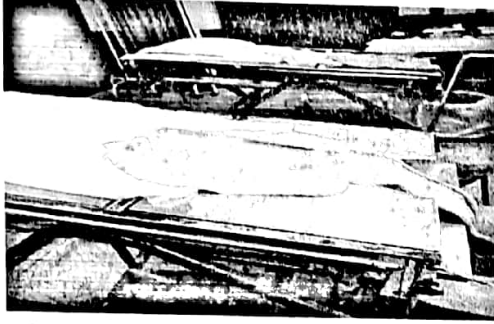
31



गन्दा शौचालय — पी.एच.सी. भारीदीनदारपुर



डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, सहारनपुर—(108)
एम्बुलेंस का गन्दा मास्क



सी.एच.सी.—ननौता, सहारनपुर— पंचर कैलिसपैड



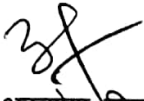
सी.एच.सी. ननौता—ओ.टी. की छत पर जमी पपड़ी

नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट (एन.एम.एम.यू.)—

- मोबाइल मेडिकल यूनिट संख्या यू.पी. 32 एलएन 7465 का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।
- एम.एम.यू. अपनी निर्धारित जनपदीय कार्ययोजना के अनुसार ब्लाक कांदला के ग्राम खेड़ाकुरतान में समुदाय को सेवाएं प्रदान करती पाई गयी।
- चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स एवं एल.टी. उपस्थित थे।
- एम.एम.यू. स्टाफ द्वारा बताया गया कि एम.एम.यू. पूर्वाह्न 10.15 बजे आई थी किन्तु वी.टी.एस. पर चेक करने पर पता चला कि पूर्वाह्न 10.45 पर आयी थी।
- सेमी आटोएनालाइजर खराब था। लैब टेस्ट की लिस्ट नहीं थी।
- निर्धारित दवाओं में से मात्र 11 प्रकार की दवायें उपलब्ध थीं।
- मरीजों का पंजीकरण एवं चिकित्सक के परामर्श से दवायें वितरित की जा रही थीं।
- एम.एम.यू. की ए.सी. काम कर रही थी किन्तु प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था।
- एल.सी.डी. काम नहीं कर रही थी।
- जनरेटर काम नहीं कर रहा था, ड्राइवर द्वारा अवगत कराया गया कि डीजल खत्म को गया है।



एम.एम.यू. ग्राम—खेड़ाकुरतान, ब्लाक— कांदला, जिला—
शामली में समुदाय को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करती हुई


श्री अरुणेश तिवारी,
कन्सल्टेंट, ई0एम0टी0एस0


डा0 पी0के0 श्रीवास्तव,
उपमहाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0